प्रकरण संख्या 03/2022 मगन बनाम रमणलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.07.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा चुण्डावाडा, तहसील बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर में आराजी नंबर 3047 रकबा 16 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 का राजस्व रेकार्ड में दर्ज था। प्रतिवादी संख्या 3 का स्वास्थ्य खराब होने से इलाज हेतु रूपयों की आवश्यकता होने के कारण उक्त आराजियात में अपने 1/4 हिस्से में से 2/5 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण 16 बिस्वा का 1/10 हिस्सा मुझ वादी को 3,00,000/– रूपये में रजिस्टर्ड विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया, जिसके पड़ोस वाद पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण भी स्वीकृत होकर राजस्व अभिलेखों में वादी का नाम दर्ज हो चुका है, किन्तु भूमि सहखातेदारी में दर्ज होने से प्रतिवादी संख्या 4 व उसके परिवारजन लड़ाई–झगड़ा करते हैं। अतः वाद वर्णित विवादित आराजी नंबर 3047 का पक्षकारों के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर भूमि राजस्व रेकार्ड में पृथक–पृथक दर्ज की जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.12.2021 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 27.04.2022 को अंतिम डिक्री जारी की गयी, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 04.08.2022 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्य प्रकाश व्यास उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट के ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर [illegible] किया कि कथित डिक्री	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:47:17 IST
Reason: SelfAttested

मरे हुए व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। ऐसे नल एण्ड वोईड निर्णय व डिक्री के विरूद्ध मयाद का बिन्दु लागू नहीं होता है। अपीलान्ट को कथित डिक्री की जानकारी दिनांक 10.06.2022 को प्रथम बार हुई। जानकारी होते ही नकले प्राप्त कर अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी गयी है। जानबूझकर विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपील प्रस्तुत करने में अल्प विलम्ब हुआ है। अतः प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि कथित डिक्री मरे हुए व्यक्ति के विरूद्ध पारित की गयी है जो एबइनिश्योवोईड है। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट कभी भी उपस्थित नहीं हुए न ही उनकी तरफ से जवाबदावा दिया गया। उनकी तरफ से वकील कैसे आये यह भी उनकी जानकारी में नहीं है। विभाजन में सिर्फ वादी का हिस्सा अलग किया गया है, शेष सहखातेदारों की भूमि शामलाती रखी गयी है, जिससे विभाजन नियम 18 से 21 की पालना नहीं हुई है। बंटवारा सभी सहखातेदारों के बीच होता है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व तहसीलदार बिछीवाडा को मौके पर भेजकर सहखातेदारों के मध्य बंटवारा किया जाकर सभी पक्षकारों को सुनकर अंतिम डिक्री पारित की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक पालना करते हुए बंटवारा नियम अनुसार ही अंतिम डिक्री जारी की गयी है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 में विवादित आराजी [illegible] 3017 रकबा 16 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 अर्थात् अपीलान्ट व [illegible] संख्या 7 का 1/2

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:47:17 IST
Reason: SelfAttested

हिस्सा दर्ज है एवं नामान्तरकरण संख्या 3694 से वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 रमणलाल 1/10 हिस्सा, हुका पिता धूला 3/20 हिस्सा तथा मगन पिता धूला 1/4 हिस्सा दर्ज हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो अंतिम डिक्री जारी की गयी है उसमें वादी रमणलाल का रकबा तो अलग करते हुए उसके हक में रख दिया है, किन्तु प्रतिवादीगण के हिस्से को शामिल रखा गया है। तदनुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री आंशिक रूप से त्रुटि पूर्ण है। हम प्रकरण में प्रतिवादीगण के हिस्से का विभाजन किया जाना भी उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 11/2018 दिनांक 27.04.2022 में पारित वादी रमणलाल के हिस्से के निर्णय व अंतिम डिक्री को यथावत रखते हुए शेष निर्णय व अंतिम डिक्री को अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में प्रतिवादीगण का जो शामिल हिस्सा रखा गया है, उनके हिस्से का भी पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जावे। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 12.09.2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 10.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:47:17 IST
Reason: SelfAttested